दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

सुरक्षित:- 21 मई, 2021
निर्णीत:- 01 जून, 2021

+ **ज़मानत अर्ज़ी 732/2021**

गुलबाबू ....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री आर.के. गिरि, अधिवक्ता।

बनाम

राज्य (रा.रा.क्षे. दिल्ली) ....प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री रवि नायक, राज्य के अति.लो.अभि. सह श्री चिनमोय बिस्वाल, पुलिस उपायुक्त, नि. राम मनोहर व उप.नि. अब्दुल बरकत, थाना अपराध शाखा।

कोरम:
माननीय न्यायाधीश सुश्री मुक्ता गुप्ता

1. इस याचिका के द्वारा, याचिकाकर्ता ने थाना अपराध शाखा, दिल्ली में धारा 21/29 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (संक्षेप में 'एन.डी.पी.एस. अधिनियम') के तहत पंजीकृत प्राथमिकी संख्या 197/2020 में नियमित ज़मानत की मांग की है।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने ज़ोर देकर कहा कि अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार याचिकाकर्ता को 17 दिसंबर, 2020 को रात के 8:10

बजे पकड़ा गया था, हालांकि, उसे 18 दिसंबर, 2020 को सुबह 11:45 बजे गिरफ्तारी ज्ञापन तैयार होने पर ही गिरफ्तार किया गया था। इस प्रकार याचिकाकर्ता को इस पूरे समय अवैध रूप से हिरासत में रखा गया था और दस्तावेज़ बनाए गए थे। इस तथ्य के बावजूद कि मोबाइल फोन के माध्यम से या यहां तक कि एक संदेशवाहक के माध्यम से परिवार को कोई सूचना नहीं दी गई थी, गिरफ्तारी ज्ञापन के कॉलम संख्या 10 में याचिकाकर्ता की पत्नी के अंगूठे का निशान अंकित है। गिरफ्तारी ज्ञापन पर याचिकाकर्ता की पत्नी के हस्ताक्षर कैसे प्राप्त किए गए थे, यह दर्शाने के लिए कोई डी.डी. प्रविष्टि दर्ज नहीं की गई है। तथापि उसे 17 दिसम्बर, 2020 को रात 08:10 बजे पकड़ा गया था, प्राथमिकी 18 दिसंबर, 2020 को सुबह 6:36 बजे ही दर्ज की गई थी, साथ ही कथित विनिषिद्ध (सामग्री) इस पूरे समय छापा मारने वाले दल के कब्जे में थी। इसके अतिरिक्त जाँच एजेंसी का मामला यह है कि याचिकाकर्ता दोपहर 2:00 बजे अदालत में पहुंचा जब गिरफ्तारी ज्ञापन पर याचिकाकर्ता की पत्नी का अंगूठा लगवाया गया, हालांकि, गिरफ्तारी ज्ञापन सुबह 11:45 बजे तैयार

किया गया था और इस प्रकार स्वीकृत रूप से, उस समय याचिकाकर्ता के परिवार को कोई सूचना नहीं दी गई थी, जिससे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित उन दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया गया था, जो AIR 1997 SC 610 *डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य* के रूप में प्रतिवेदित हैं। यह इस तथ्य के बावजूद है कि याचिकाकर्ता का निवास सुईवालान, तुर्कमान गेट, दिल्ली में है जो दरिया गंज में अपराध शाखा के कार्यालय के करीब है, जहां याचिकाकर्ता को अभियोजन पक्ष के अनुसार पूरी रात रखा गया था। एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 41 और 42 का अनुपालन नहीं किया गया है। सह-अभियुक्त की जामा तलाशी एक महिला कांस्टेबल जनीता मीणा द्वारा की गई है जो जामा तलाशी करने के लिए अधिकृत नहीं थी। इस संबंध में 1989 (1) अपराध 314 *राज्य बनाम जगमाला राम ;* 1994 Crl.J. 3702 *पंजाब राज्य बनाम बलबीर सिंह* ; 1995 Crl.J. 875 *छोटू बनाम महाराष्ट्र राज्य* ; 1995 (97) बंबई एल.आर. 398 *दिलकुश जी. सिनाल बनाम गोवा राज्य* ; 1995 Crl.J. 2300 *राज्य बनाम शकील अहमद*; 2001 Crl.J. 165 *रॉय वी.डी. बनाम केरल राज्य* और

2002 Crl.J. 2013 *अयूब खान बनाम राजस्थान राज्य* के रूप में प्रतिवेदित निर्णयों पर भरोसा जताया गया है। नक्शा मौका कथित रूप से अगले दिन तैयार किया गया था जब कोई गवाह मौजूद नहीं था और इसकी पड़ताल नहीं की जा सकती है। वास्तव में याचिकाकर्ता को उसके घर से उठाया गया था और इस मामले में झूठा फँसाया गया था। याचिकाकर्ता का पूर्ववृत्त साफ-सुथरा है और इस मामले से पहले किसी भी प्रकार के अपराध में संलिप्त नहीं हैं। इसके अतिरिक्त याचिकाकर्ता से कथित बरामदगी भी मध्यवर्ती मात्रा की है और इसलिए एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 37 की कठोरता लागू नहीं होती।

3. दूसरी ओर राज्य के विद्वान अति.लो.अभि. ने प्रतिवाद किया कि नक्शा मौका तब बनाया गया था जब जाँच अधिकारी के साथ उप-निरीक्षक अरविंद मौके पर गए थे। यह आरोप कि याचिकाकर्ता को घर से उठाया गया था और झूठे तरीके से फँसाया गया है, निराधार हैं। याचिकाकर्ता की सी.डी.आर. सह-अभियुक्त के साथ उसका संबंध दर्शाती है। सह-आरोपी की जामा तलाशी महिला कांस्टेबल ने सहायक पुलिस आयुक्त और उप-

निरीक्षक अरविंद की उपस्थिति में की, जो छापेमारी दल का हिस्सा थे। एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 41 और 42 का अनुपालन किया गया है और इसलिए याचिकाकर्ता को ज़मानत प्रदान किए जाने के लिए कोई मामला नहीं बनता है।

4. उपरोक्त प्राथमिकी 17 दिसंबर, 2020 को उप-निरीक्षक अरविंद कुमार द्वारा स्वापक द्रव्य प्रकोष्ठ, अपराध शाखा, दरिया गंज, दिल्ली के कार्यालय में एक गुप्त सूचना प्राप्त होने के बाद दर्ज की गई थी कि पुरानी दिल्ली निवासी एक व्यक्ति पप्पू दिल्ली में हेरोइन की बिक्री और आपूर्ति में लिप्त था और उसी दिन शाम 6:30 बजे से 9:30 बजे के बीच पाहवा हुंदई मोटर्स, रामा रोड, मोती नगर, दिल्ली के पास किसी को हेरोइन देने आ रहा था। यह जानकारी उप-निरीक्षक अरविंद कुमार ने निरीक्षक राम मनोहर को दी और उनके सामने मुखबिर को पेश किया गया, जिसकी जानकारी आगे सहायक पुलिस आयुक्त, स्वापक द्रव्य प्रकोष्ठ, को दी गई, जिन्होंने उन्हें उचित कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। गुप्त सूचना थाना अपराध शाखा में डी.डी. संख्या 52क के रूप में दर्ज की गई थी।

मुखबिर की निशानदेही पर छापेमारी दल ने एक महिला और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिनके नाम परवीन व वर्तमान याचिकाकर्ता गुल बाबू उर्फ पप्पू के रूप में सामने आए। उन्हें गुप्त सूचना के बारे में बताया गया और एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50 के तहत नोटिस की तामील उन पर अलग से की गई और दोनों को राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के सामने जामा तलाशी किए जाने के उनके कानूनी अधिकार के बारे में सूचित किया गया, हालांकि, दोनों ने इनकार कर दिया। चूंकि दोनों अनपढ़ थे उप-निरीक्षक अरविंद कुमार ने उनके नोटिसों की प्रतियों पर उनके जवाब लिखे थे, जिस पर उन्होंने अंगूठा लगाया था।

5. इसके बाद रात लगभग 8:30 बजे सहायक पुलिस आयुक्त, स्वापक द्रव्य प्रकोष्ठ को सूचना दी गई थी जो रात लगभग 9:30 बजे मौके पर पहुंचे और उनकी उपस्थिति में एक महिला कांस्टेबल जनीता मीणा ने परवीन की तलाश की। उसकी जामा तलाशी के दौरान, उसके दाएँ हाथ से रबड़ बैंड से बंधी हुई हल्के भूरे रंग का पाउडर युक्त पारदर्शी पॉलिथीन बरामद की गई। फील्ड टैस्टिंग किट के साथ परीक्षण करने पर हल्के भूरे रंग का

पाउडर हेरोइन पाया गई। उक्त पॉलिथीन को रबड़ बैंड से बांधा गया और इसे 'ए' के रूप में चिह्नित किया गया और इसका वज़न 150 ग्राम था। बरामद पारदर्शी पॉलिथीन को एक आयताकार प्लास्टिक के डिब्बे में रखा गया था और चिपकने वाली टेप की मदद से पुलंदा बनाया गया और पार्सल-बी के रूप में चिह्नित किया गया था और 'ए.के.' की सील से सील कर दिया गया था, जिस सील को तब सहायक उप-निरीक्षक, सुधीर कुमार को सौंप दिया गया था। तत्पश्चात सहायक पुलिस आयुक्त के निर्देश पर उप-निरीक्षक, अरविंद कुमार द्वारा गुल बाबू उर्फ पप्पू की जामा तलाशी ली गई और उसके हाथ से एक काले रंग की पॉलिथीन बरामद हुई जिसमें 500 रु. की चार गड्डियाँ और 200 रु. की एक गड्डी थी। प्रत्येक गड्डी में 100 नोट पाए गए। इस प्रकार कुल राशि 2.20 लाख रुपये थी। पाँचों गड्डियों को उसी काले रंग की पॉलिथीन में रखा गया था और उसके बाद एक आयताकार प्लास्टिक के डिब्बे में रखा गया और चिपकने वाली टेप की मदद से एक पुलंदा बनाया गया और पार्सल-सी के रूप में चिह्नित किया गया। आगे की तलाशी के दौरान याचिकाकर्ता की जींस की

दाँई ओर की सामने वाली जेब से एक पारदर्शी पॉलिथीन बरामद की गई, जिसमें रबड़ बैंड खोलने पर हल्के भूरे रंग का पाउडर पाया गया। उसकी जाँच करने पर हेरोइन पाई गई और इस प्रकार इस पॉलिथीन को भी प्लास्टिक के डिब्बे में रखकर और चिपकने वाली टेप लगाकर पार्सल-ई बनाया गया। बरामद पुलंदों को ज़ब्त कर लिया गया और 'ए.के.' की सील के साथ सील कर दिया गया।

6. आरोप-पत्र के अनुसार, कोविड-19 महामारी और मौके पर उचित रोशनी की कमी के कारण, परवीन और गुल बाबू उर्फ पप्पू को स्वापक द्रव्य प्रकोष्ठ, अपराध शाखा, पुरानी कोतवाली भवन, दरिया गंज, दिल्ली के कार्यालय में लाया गया, जहाँ एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 21/29 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के लिए एक लिखित आख्या तैयार की गई। फर्द-मकबूज़गी के साथ पुलंदों सहित लिखित आख्या आरक्षी राजेश द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पुष्प विहार में थाना अपराध शाखा के ड्यूटी अधिकारी को देने हेतु भेज दी गई थी और शेष वस्तुओं को

एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 55 के अनुपालन में पुष्प विहार में अपराध शाखा थाने के थानाध्यक्ष, को सौंप दिया गया था।

7. आरोप-पत्र के अनुसार गुल बाबू उर्फ पप्पू ने परवीन को 150 ग्राम हेरोइन दी थी। जाँच करने पर, याचिकाकर्ता ने खुलासा किया कि उक्त विनिषिद्ध (सामग्री) उसके रिश्तेदार जमाल उर्फ मक़बूल निवासी माता सुंदरी रोड से बरामद की गई थी, जो गिरफ्तारी से भाग रहा है। याचिकाकर्ता के पास से दो मोबाइल फोन बरामद किए गए, एक याचिकाकर्ता के नाम पर पंजीकृत और दूसरा जमाल उर्फ मक़बूल द्वारा प्रदान किया गया, जो पी. शंकर के नाम पर पंजीकृत था। परवीन के पास से एक मोबाइल फोन बरामद किया गया था जो मोहम्मद अतीउल्लाह के नाम पर था, जो परवीन का रिश्तेदार था। गुल बाबू और परवीन के कॉल डिटेल रिकॉर्ड से पता चला कि दोनों एक-दूसरे को जानते थे और एक-दूसरे के संपर्क में थे और उनकी अवस्थिति से पता चला कि वे 17 दिसंबर, 2020 को रात लगभग 8:00 बजे पकड़े जाने से ठीक पहले मौके पर मौजूद थे।

8. गुल बाबू और परवीन से नशीली दवाओं की बिक्री का लेन-देन छापेमारी दल की उपस्थिति में हुआ, जैसा कि छापेमारी दल के गवाहों के बयान में भी उल्लेख किया गया है। याचिकाकर्ता के विद्वत अधिवक्ता द्वारा आरोपित एकमात्र अवज्ञा एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 41 और 42 की है। सह-अभियुक्त परवीन की जामा तलाशी एक महिला आरक्षी द्वारा की गई थी और यह गरिमा बनाए रखने के लिए थी, हालांकि जामा तलाशी संबंधित सहायक पुलिस आयुक्त की उपस्थिति में की गई थी और यह नहीं कहा जा सकता है कि उस आधार पर जामा तलाशी निष्फल है। इसके अतिरिक्त, जामा तलाशी किसी भवन, वाहन या स्थान के अंदर नहीं परंतु सार्वजनिक स्थान पर हुई है और इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 41 और 42 का उल्लंघन किया गया है। यदि महिला आरक्षी द्वारा की गई जामा तलाशी वरिष्ठ अधिकारियों, जो तलाशी का संचालन करने के लिए विधिवत अधिकृत थे, की अनुपस्थिति में होती तो याचिकाकर्ता के विद्वत अधिवक्ता द्वारा भरोसा जताए गए निर्णय लागू होते। वर्तमान मामले में तलाशी अधिकृत

अधिकारी के कहने पर की गई थी, लेकिन अभियोक्त्री परवीन के मामले में विधि अनुसार एक महिला आरक्षी द्वारा क्योंकि वह एक महिला थी।

9. जैसा कि ऊपर पाया गया, याचिकाकर्ता को 17 दिसम्बर, 2020 को रात लगभग 8:00 बजे पकड़ा गया था, उसके बाद सहायक पुलिस आयुक्त, स्वापक द्रव्य प्रकोष्ठ को बुलाया गया और रात 9:30 बजे मौके पर पहुंचने पर तलाशी ली गई और पुलंदा तैयार किया गया, जिसके बाद दोनों आरोपियों को स्वापक द्रव्य प्रकोष्ठ, दरिया गंज लाया गया, जहाँ उन्हें रात में रखा गया था और 18 दिसंबर, 2020 को सुबह 5:00 बजे तहरीर को पुष्प विहार में स्थित थाना अपराध शाखा में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए भेजा गया था, जिसके बाद, 18 दिसंबर, 2020 को 6:36 बजे प्राथमिकी दर्ज की गई।

10. एक बार जब आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, रात भर अभिरक्षा में रखा गया, सुबह पुष्प विहार में थाना अपराध शाखा में प्राथमिकी दर्ज की गई, तो यह समझ नहीं आता कि औपचारिक गिरफ्तारी सुबह 11:45 बजे क्यों की गई, जैसा कि गिरफ्तारी ज्ञापन से स्पष्ट है।

इसके अतिरिक्त, गिरफ्तारी ज्ञापन के कॉलम संख्या 2 में अंकित है कि "उसकी पत्नी को सूचित गया", साथ ही याचिकाकर्ता की पत्नी, बेगम के दाएँ हाथ का अंगूठा भी लगा है। इस न्यायालय ने केस दैनिकी को मंगाया था, जिसमें यह अंकित किया गया है कि जाँच अधिकारी उप-निरीक्षक अब्दुल बरक़त, जिन्हें सुबह 9 बजे जाँच सौंपी गई थी, ने श्रीमती परवीन को सुबह 11:00 बजे और गुल बाबू उर्फ पप्पू को सुबह 11:45 बजे गिरफ्तार किया, जिसके बाद उन्हें तीस हज़ारी न्यायालय ले जाया गया, जहाँ परवीन की बेटी मरियम और गुल बाबू की पत्नी न्यायालय परिसर में मौजूद थीं और उन्हें मौखिक रूप से उनकी गिरफ्तारी के बारे में जानकारी दी गई थी और संबंधित गिरफ्तारी ज्ञापन पर उनके हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान प्राप्त किए गए थे। इसके बाद, दोनों आरोपियों को विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने एक दिन की पुलिस अभिरक्षा रिमांड प्रदान की।

11. इस मामले में परेशान करने वाली बात यह है कि याचिकाकर्ता का निवास सुईवालान, तुर्कमान गेट, दिल्ली में है जो स्वापक द्रव्य प्रकोष्ठ के

कार्यालय, अपराध शाखा, पुराना थाना कोतवाली, दरिया गंज के आसपास है, हालांकि, कैसे और कब परिवार को सूचना भेजी गई, केस दैनिकी में स्पष्ट नहीं है, और याचिकाकर्ता का परिवार अदालत में कैसे पहुंचा, यह भी स्पष्ट नहीं है। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार भी अभियुक्तों को रात 8:00 बजे पकड़ा गया और रात 8:30 बजे सहायक पुलिस आयुक्त को बुलाया गया था जो रात 9:30 बजे घटनास्थल पर पहुंचे और पुलंदा तैयार करने के बाद आरोपी और छापेमारी दल स्वापक द्रव्य प्रकोष्ठ के कार्यालय दरिया गंज पहुँचे जहाँ रात भर दोनों आरोपी गिरफ्त में थे और औपचारिक रूप से गिरफ्तार नहीं किए गए थे। विनिषिद्ध (सामग्री) के साथ रुक्का सुबह 5:30 बजे ही भेजा गया था और पूरी रात यह छापेमारी वाले दल के कब्जे में था, जिसमें सील भी छापा मारने वाले दल के एक सदस्य के पास थी। स्थिति आख्या के अनुसार, याचिकाकर्ता की एन.डी.पी.एस. अधिनियम के तहत अपराध में कोई पिछली संलिप्तता नहीं है। उपरोक्त तथ्यों, विशेष रूप से याचिकाकर्ता की देरी से की गई

गिरफ्तारी, को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय याचिकाकर्ता को ज़मानत प्रदान किया जाना उचित समझता है।

12. परिणामस्वरूप, यह निर्देश दिया जाता है कि विद्वान विचारण न्यायालय / ड्यूटी मैजिस्ट्रेट की संतुष्टि के अधीन, याचिकाकर्ता को उसके द्वारा 50,000/- रुपये की राशि के व्यक्तिगत बंध-पत्र के साथ समान राशि का एक प्रतिभू प्रस्तुत करने पर ज़मानत पर रिहा किया जाए, इसके अतिरिक्त इस शर्त के अधीन कि याचिकाकर्ता संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना रा.रा.क्षे. दिल्ली नहीं छोड़ेगा तथा याचिकाकर्ता के आवासीय पते और/या मोबाइल नंबर के परिवर्तन की स्थिति में, एक हलफनामे के माध्यम से संबंधित अदालत को सूचित किया जाएगा।

13. याचिका का तदनुसार निपटान किया जाता है।

14. केस दैनिकी के साथ पुलिस फाइल जाँच अधिकारी को तुरंत वापस कर दी जाए।

15. आदेश इस न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।

आप. वि. (ज़मानत) 392/2021

अनावश्यक होने से खारिज किया गया।

न्या. मुक्ता गुप्ता

01 जून, 2021

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्द्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी|